रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223043
CG-DL-E-11112020-223043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
No. 578] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

सं. 37 /2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 708(अ).—जहां कि मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “क्लियर फ्लोएट ग्लास” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 के अतंर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/15/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड 1, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि-

(क) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का भारत को उसके संबंधित सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया था। इस प्रकार इसकी यहां भरमार हो गयी।

(ख) विषयगत वस्तु की विषयगत देश से यहां भरमार होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।

(ग) यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले फालतू आयात को कारण हुई है।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की है।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर विषयगत वस्तु के अवतरण मूल्य और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रवष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बीच के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि अवतरण मूल्य उक्त शुल्क सारणी के कॉलम (7) में निर्दिष्ट राशि से कम हो, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक/ उप शीर्षक	समूह का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	मुद्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7005	क्लियर फ्लोएट ग्लास जिसकी मोटाई मामूली रूप से 4 मिमी से 12 मिमी तक हो (इसमें ये दोनों माप भी शामिल हैं), जिसकी मामूली मोटाई BIS 14900:2000 के अनुसार हो	मलेशिया	मलेशिया	किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन बीएचडी	273.12	अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
2	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया	जिंयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी	272.87		
3	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	कोई भी	उपर्युक्त क्रम सं. 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी	326.00	अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
4	-तदैव-	-तदैव-	कोई भी देश जहां प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगता हो	मलेशिया	कोई भी	326.00	अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया यह प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण 1– इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

स्पष्टीकरण 2- इस अधिनियम के उद्देश्य से किसी आयात का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सभी स्तर के सीमा शुल्क शामिल होंगे ।

[फा. सं. 354/127/2020–टीआरयू]

जैनेन्द्र सिंह कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

No. 37/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 708(E).—Whereas in the matter of 'Clear Float Glass' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Chapter 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the 'Customs Tariff Act'), originating in, or exported from Malaysia (hereinafter referred to as the 'subject country'), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/15/2019-DGTR, dated the 20th August, 2020, has come to the conclusion that–

(a) the subject goods have been exported to India from the subject country below its associated normal value, thus resulting in dumping;

(b) the Domestic Industry has suffered material injury due to dumping of the subject goods from the subject country;

(c) the material injury has been caused by the dumped imports from the subject country,

and whereas, the designated authority has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the difference between the landed value of subject goods and the amount indicated in the corresponding entry in column (7), provided that the landed value is less than the amount indicated in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8), and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No	Heading /Sub-heading	Description of Group	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7005	Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900 : 2000	Malaysia	Malaysia	Kibing Group (M) Sdn. Bhd.	273.12	United States Dollar	Metric Tonne

2	-do-	-do-	Malaysia	Malaysia	Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd.	272.87	United States Dollar	Metric Tonne
3	-do-	-do-	Malaysia	Any	Any other than S. Nos. 1 and 2 above	326.00	United States Dollar	Metric Tonne
4	-do-	-do-	Any country not attracting anti-dumping duties	Malaysia	Any	326.00	United States Dollar	Metric Tonne

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation 1.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

Explanation 2.- The "landed value" of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of customs duties except duties levied under Section 3,8B, 9, 9A of the said Customs Tariff Act.

[F. No. 354/127/2020-TRU]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA